इकाई–IX

अध्याय–22

जिला कलैक्टर

(District Collector)

जिला कलैक्टर का पद 200 वर्षों से अधिक समय पहले बनाया गया था। यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पदों में से हैं। यह पद स्वतंत्र भारत की लोक प्रशासन प्रणाली को उपनिवेशी शासकों से विरासत में मिला है। स्वतंत्रता से 1988 तक इस पद को जिलाधीश के रूप में जाना जाता था लेकिन अब औपचारिक रूप से इसको ''जिला कलैक्टर'' शब्द से जाना जाता है।जिला कलैक्टर जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। स्वतंत्रता के पहले और बाद में कई सुधार हुए, कई बार पुर्नगठन किए गए, जिनमें भारत की लोक प्रशासन प्रणाली भी प्रभावित हुई परन्तु जिला कलैक्टर के पद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को साकार रूप देने के लिए निम्नतर स्तर तक अनेक संस्थाएँ स्थापित की गई परन्तु इसमें इस पद के महत्त्व व गरिमा में कोई कमी नहीं आई। वर्तमान में भी यह पद, एक प्रतिष्ठित पद है।

जिला कलैक्टर पद का विकास (Evalution of the Office of District Collector)

जिला प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रशासनिक इकाई प्राचीन काल से ही एक महत्त्वपूर्ण इकाई रही है। इसलिए जिला कलैक्टर या उसका समकक्ष पद भी प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा हैं। जिला कलैक्टर पद के विकास क्रम को निम्न काल खंडों में समझा जा सकता हैं :

प्राचीन काल

प्राचीन काल में विशेष रूप से मौर्य काल व गुप्तकाल में जिला कलैक्टर के समकक्ष पद थे। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल का वर्णन चाणक्य द्वारा रचित 'अर्थशास्त्र' में मिलता है। इस काल में जिले के लिए 'अहारा' शब्द का प्रयोग किया जाता था तथा उसके प्रमुख अधिकारी को स्थानिक कहा जाता था। गुप्तकाल में जिले को 'विषय' कहा जाता था तथा जिलाधिकारी 'विषयपति' के नाम से जाना जाता था। इन दोनों कालों में ये जिला स्तरीय सर्वोच्च अधिकारी राजस्व तथा जनोपयोगी कार्य देखते थे।

मुगलकाल

मुगलकाल में भी जिला प्रशासन के समकक्ष इकाई थी जिसे 'सरकार' कहा जाता था। इसके प्रमुख अधिकारी को 'आमिल' कहा जाता था जो कि वर्तमान के जिला कलैक्टर के समकक्ष स्तर का पदाधिकारी था तथा राजस्व सम्बन्धी कार्यों के लिए उत्तरदायी था।

ब्रिटिश शासन काल

ब्रिटिश शासन काल में भी जिला नामक प्रशासनिक इकाई थी, जिसके प्रमुख पदाधिकारी को 'कलेक्टर' (Collector) कहा जाता था। वर्तमान में जिला कलैक्टर के पद का स्वरूप 'कलेक्टर' के समान ही है। ब्रिटिश शासन काल से पूर्व जिले का सर्वोच्च अधिकारी केवल राजस्व संबंधी कार्यों को ही करता था लेकिन ब्रिटिश शासन काल में इसे राजस्व के साथ साथ दंडनायक एवं सामान्य प्रशासनिक अधिकार भी सौंपे गए। इस काल में जिला स्तर पर कलेक्टर, केन्द्रीय शक्ति के रूप में कार्य करता था। इस काल में यह पदाधिकारी सत्ता, सम्मान, गौरव व भय का प्रतीक था। जिला स्तर पर सरकार की समस्त शक्तियों का उपयोग किया करता था।

स्वतंत्रता के पश्चात

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जिला स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी के रूप में जिला कलैक्टर पद का सृजन किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात इसकी स्थिति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है। ब्रिटिश शासन काल में यह पदाधिकारी कानून व व्यवस्था की स्थापना करने के लिए एवं राजस्व सम्बन्धी कार्यों के लिए उत्तरदायी था लेकिन स्वतंत्र भारत में इसके लिए विकास तथा जन कल्याण से सम्बन्धित कार्य भी महत्त्वपूर्ण बन गए हैं।

जिला कलैक्टर पद पर नियुक्ति (Appointment on the Post of District Collector)

जिला कलैक्टर पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस पद पर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिला कलैक्टर का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है। जिला कलैक्टर की नियुक्ति के सम्बन्ध में सम्पूर्ण

राष्ट्र में दो प्रणालियाँ प्रचलित हैं।

पहली प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (I.A.S.) में नवचयनित व्यक्ति को ही जिला कलैक्टर बनाया जाता हैं जब कि दूसरी प्रणाली के अन्तर्गत राज्य प्रशासनिक सेवा (R.A.S.) के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी को, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा वर्ग में पदोन्नत हुआ है, जिला कलैक्टर के पद पर नियुक्त किया जाता है। दोनो ही प्रणालियों के अपने–अपने गुण व दोष हैं।

पहली प्रणाली के अन्तर्गत नियुक्त, जिला कलैक्टर में कार्य करने की अधिक क्षमता होती हैं क्योंकि वह नवयुवक होता है, इसलिए जिला कलैक्टर के व्यापक कार्यभार को सरलता से निष्पादित कर सकता हैं। लेकिन व्यापक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए पर्याप्त अनुभव का होना आवश्यक होता है, जिसका अभाव नवयुवक में होता है। इसके विपरीत, दूसरी प्रणाली के अन्तर्गत नियुक्त जिला कलैक्टर को व्यापक प्रशासनिक अनुभव तो होता है लेकिन उसकी शारीरिक कार्य क्षमता कम होती है क्योंकि इस प्रकार से नियुक्त व्यक्ति सेवानिवृति की आयु के समीप होता है।

दोनो ही प्रणालियों के गुण व दोषों के कारण अधिकांश राज्यों में जिला कलैक्टर की नियुक्ति के सम्बन्ध में दोनो प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है अर्थात कुछ जिलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारी को नियुक्त किया जाता है एंव कुछ जिलों में राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नत अधिकारी को नियुक्त किया जाता है।

जिला कलैक्टर की भूमिका (Role of District Collector)

(क) राजस्च अधिकारी के रूप में

जिला कलैक्टर की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका राजस्व अधिकारी (Revenue Officer) के रूप में होती है। उसकी इसी भूमिका के कारण उसे 'कलैक्टर' (Collector) कहा जाता है। कलैक्टर शब्द अंग्रेजी के 'कलेक्ट' (Collect) शब्द से बना है जिसका अर्थ है एकत्र करना। इस प्रकार जिला कलैक्टर जिला स्तर पर राजस्व एकत्र करने के लिए उत्तरदायी होता है। उसे भू राजस्व, अधिनियम 1956 के अन्तर्गत व्यापक अधिकार व शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(ख) प्रशासक (Administrator) के रूप में

जिला प्रशासक का मुखिया होने के कारण वह सम्पूर्ण जिले की प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण रखता है। वह अधीनस्थ अधिकारियों को कार्यालय की प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्य एवं व्यक्तिगत आचरण की शिक्षा देता है तथा प्रशासन के विरूद्व जनता की शिकायतों की उचित सुनवाई तथा कार्यवाही करता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य प्रशासन के अभिकर्त्ता के रूप में राज्य प्रशासन के सभी कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है।

(ग) दंडनायक (Magistrate) के रूप में

जिला दंडनायक के रूप में जिला कलैक्टर की अनेक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन्हीं शक्तियों के कारण जिला कलैक्टर को जिला मजिस्ट्रेट (D.M.) भी कहा जाता है। वह पुलिस, जेल तथा न्यायिक क्षेत्र के कतिपय कार्य निष्पादित करवाता हैं। प्रमुख रूप से दंडनायक के रूप में जिला कलैक्टर के निम्न लिखित दायित्व हैं :

1. जिले में शांति, सुरक्षा, एकता, सद्भाव तथा व्यवस्था बनाए रखना।
2. जिला पुलिस तंत्र पर नियत्रंण रखना।
3. साम्प्रदायिक दंगों, राजनीतिक आंदोलनों, उग्र प्रदर्शनों, आंतककारी गतिविधियों तथा जातीय संघर्षों इत्यादि पर नियंत्रण रखना।
4. विदेशियों के पारपत्र की जाँच करना।
5. जाति, निवास तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करना।
6. जिला कारागृह का निरीक्षण करना।
7. धारा 144 के अन्तर्गत शांति भंग के मामलों की सुनवाई करना।
8. शस्त्रालयों पर नियत्रंण रखना।
9. तस्करी, नशीली दवा व्यापार तथा आतंककारी गतिविधियों पर नियत्रंण रखना।

(घ) विकास अधिकारी के रूप में

सरकार के कार्यों की प्रकृति दो प्रकार की होती हैं एक नियामकीय तथा दूसरी विकासात्मक। वर्तमान समय में यद्यपि विकासात्मक कार्य मुख्य रूप से स्थानीय प्रशासन द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। लेकिन इन कार्यों पर

पर्यवेक्षण रखने तथा समन्वय स्थापित करने में जिला कलैक्टर की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती है। जिला कलैक्टर उपर्युक्त चार रूपों में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है।

जिला कलैक्टर के कार्य (Functions of District Collector)

उपर्युक्त वर्णित चारों प्रकार की भूमिकाओं के निर्वहन के लिए जिला कलैक्टर अनेक कार्यो को निष्पादित करता है 'जिला कलेक्टर' के कार्यो को निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है :

1. राजस्व एकत्र करना

यह जिला कलैक्टर का मुख्य कार्य है। उसे सरकार की भूमि का स्वामी माना जाता है। सरकार किसानों से लगान, भू–राजस्व आदि के रूप में भूमि का किराया वसूल करती है। सरकार अपना यह कार्य जिला कलैक्टर के माध्यम से सम्पन्न करती है। इस कार्य में जिला कलैक्टर की सहायता उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, कानूनगो, गिरदावर और पटवारी आदि अनेक कर्मचारियों द्वारा की जाती है। जिला कलैक्टर भू–राजस्व का मूल्यांकन करता है। वह प्रत्येक प्रकार की भूमि का रिकॉर्ड रखता है तथा भूमि–सुधार के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों की देखरेख करता है।

2. भूमि सुधार

जिला कलैक्टर भूमि सुधार, भूमि प्रबन्ध तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्यों को भी निष्पादित करता है। यधपि इन सभी कार्यों के लिए पृथक से विभाग होता है लेकिन इन कार्यो पर पर्यवेक्षण रखने का दायित्व जिला कलैक्टर का ही होता है।

3. कानून और व्यवस्था बनाये रखना

राजस्व सम्बन्धी दायित्वों के साथ साथ जिला कलैक्टर का एक ओर महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था की स्थापना करना होता है। इस कार्य के निष्पादन के लिए उसे दण्डनायक या मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इस कार्य का निष्पादन पुलिस प्रशासन की सहायता से करता है। जिले में पुलिस प्रशासन का मुखिया पुलिस अधीक्षक होता है जिस पर नियंत्रण जिला कलैक्टर का ही होता हैं।

जिला क्षेत्र में भ्रमण करके जिला कलैक्टर द्वारा कानून व व्यवस्था की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर वह पुलिस प्रशासन को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करता है।

4. लोक कल्याणकारी कार्य

भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसलिए सरकार द्वारा लोक कल्याण की अनेक योजनाएँ व कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक रूप में क्रियान्वयन जिला स्तर पर ही होता है। जिला स्तर पर जन कल्याण के कार्य भी जिला कलैक्टर द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।

5. प्राकृतिक विपदाओं में सहायता

जब जिले अथवा उसके किसी भाग में प्राकृतिक विपदाएं उत्पन्न हो जाती हैं तो जिले के सभी अधिकारी एवं अभिकरण उनके निवारण में लग जाते हैं। इन सभी अधिकारियों व अभिकरणों को आवश्यक दिशा निर्देश जिला कलैक्टर द्वारा ही दिये जाते हैं। ये प्राकृतिक विपदाएँ बाढ़, सूखा, भूकंप, अग्निकांड, महामारी आदि किसी भी रूप में हो सकती हैं।

6. निर्वाचनों का संचालन

भारत में प्रजातात्रिंक व्यवस्था के अन्तर्गत समय–समय पर अनेक निर्वाचनों का आयोजन किया जाता है। ये निर्वाचन अनेक निकायों के लिए किये जाते हैं जैसे संसद, विधानसभा, नगरीय संस्थाएं एवं पंचायतीराज संस्थाएं। जिला स्तर पर इन निर्वाचनों के संचालन का मुख्य दायित्व जिला कलैक्टर का ही होता है। जिला कलेक्टर,, जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका का निर्वहन करता है।

7. प्रोटोकाल कार्य

प्रोटोकाल कार्य एवं कर्त्तव्य वे होते हैं, जो जिला कलैक्टर को जिले में किसी बडे पदाधिकारी के आने पर सम्पादित करने होते हैं। जब कोई मंत्री या दूसरे माननीय व्यक्ति जिले का दौरा करते हैं तो उनके स्वागत व सुरक्षा प्रबन्ध का दायित्व जिला कलैक्टर का ही होता है।

8. जिला क्षेत्र का भ्रमण करना

जिला कलैक्टर का एक प्रमुख कार्य जिले का भ्रमण करना है। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यों का निरीक्षण करता है। भ्रमण के दौरान जिला कलैक्टर द्वारा जन शिकायतों की सुनवाई भी की जाती है। शिकायतों के शीध्र निराकरण

की व्यवस्था भी करता है।

9. विकास सम्बन्धी कार्य

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय प्रशासन के समक्ष सबसे बडी चुनौती विकास सम्बन्धी थी। इसलिए अनेक विकासात्मक कार्यक्रम संचालित किए जिनके संचालन का दायित्व जिला कलैक्टर को सौंपा गया था। वर्तमान में इन विकासात्मक कार्यों के संचालन का दायित्व स्थानीय प्रशासन की संस्थाओं को सौंपा गया है। लेकिन इन संस्थाओं के विकासात्मक कार्यों पर पर्यवेक्षण व नियत्रंण रखने का दायित्व जिला कलैक्टर का होता है। वह विकास कार्यों का समन्वय करता हैं तथा उनकी बाधाओं का निराकरण करता है। विकास तथा समाज कल्याण विभाग के सभी जिला अध्यक्ष जिला कलैक्टर से अनुदान एवं सहायता प्राप्त करते हैं। किसी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम को अन्तिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व जिला कलैक्टर से परामर्श लिया जाता है।

10. औपचारिक बैठकों का आयोजन

जिला स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी होने के कारण जिला कलैक्टर का मुख्य दायित्व विभिन्न विभागीय कार्यों में समन्वय स्थापित करना होता है। इस कार्य हेतु जिले की समन्वय समिति की बैठक बुलाई जाती है। जिला परिषद की विकास समिति की बैठकों में भी वह भाग लेता है तथा परामर्श देता है । इस प्रकार औपचारिक बैठकों के माध्यम से वह जिला प्रशासन में समन्वय स्थापित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य करता है।

11. प्रशासनिक कार्य

जिला प्रशासन के मुखिया के रूप में जिला कलैक्टर विभिन्न सामान्य प्रशासनिक कार्यों को भी निष्पादित करता है। जैसे विभिन्न कानूनों को लागू करना तथा उन पर पर्यवेक्षण रखना।

12. अन्य कार्य

जिला कलैक्टर द्वारा उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी सम्पन्न किये जाते हैं जिनमें से प्रमुख निम्न लिखित हैं :

1. अल्प बचत कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना,
2. प्रचार व जन–सम्पर्क कार्यक्रमों को संचालित करना,
3. प्रसार माध्यमों से सम्पर्क स्थापित करना,
4. जिले की समस्याओं पर जनता का ध्यान आकर्षित करना, तथा
5. जनगणना सम्बन्धी कार्य।

जिला कलैक्टर के उपर्युक्त कार्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन स्तर पर जिला कलैक्टर की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती है।

जिला कलेक्टर की भूमिका की समीक्षा (Review of the Role of District Collector)

जिला कलैक्टर के कार्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन में जिला कलैक्टर एक महत्त्वपूर्ण अधिकारी है। नियामक और विकास कार्यो में, दोनो में उसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी पडती है। लेकिन व्यवहार में उनके कार्य निष्पादन में अनेक बाधाएँ आती हैं जिसके कारण वह पूर्ण सक्षमता से कार्य नहीं कर पाता है। प्रमुख बाधाएँ निम्न लिखित हैं :

(1) कार्यकाल की अनिश्चिता

जिला कलैक्टर का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अध्ययनों के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों के स्थानान्तरण अनेक बार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में जिला कलैक्टर का औसत कार्यकाल 14.2 महीने है। यह कार्यकाल विकास संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुकूल नहीं है क्योंकि जब तक वे जिले की समस्याओं से परिचित होते हैं तब उनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है।

(2) राजनीति हस्तक्षेप

राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव भी जिला कलैक्टर के कार्यो में बाधा उत्पन्न करते हैं। भूमि अधिग्रहण या परमिट जारी करने सम्बन्धी मामलों में ऐसा दबाव विशेष रूप से रहता है। यदि जिला कलैक्टर ऐसे दबावों का विरोध करता है तो उस पर जनता के प्रतिनिधियों के अनुरोध के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक हस्तक्षेप व दबाव के कारण

उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(3) प्रोटोकोल

नवाचार की यह अपेक्षा है कि जिले में महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरों की अगवानी जिला कलैक्टर द्वारा की जाएगी। कुछ जिलों में जो महत्त्वपूर्ण शहर हैं, वहाँ ऐसे दौरे बहुधा होते रहते हैं और इनसे जिला कलैक्टर के कार्य में बाधा आती हैं।

(4) कार्यभार की अधिकता

जिला कलेक्टरों के पास बहुत अधिक कार्यभार होता है क्योंकि उसके कार्य अत्यधिक व्यापक होते हैं। अध्ययनों से यह तथ्य सामने आया हैं कि इसका अधिकांश समय पत्र व्यवहार में बैठकों में भाग लेने में तथा प्रोटोकोल में ही व्यतीत हो जाता है। इस प्रकार वह विकास कार्यों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाता है।

(5) न्यायिक कार्यो की पृथकता

जिलें में कानून व व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व जिला कलैक्टर का होता है जिसके लिए वह पुलिस प्रशासन पर नियत्रंण रखता है। इस कार्यपालक के पास न्यायिक शक्तियाँ नहीं होने के कारण इसका यह नियत्रंण निष्प्रभावी रहता है।

उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त अन्य कारक भी हैं जो जिला कलैक्टर के कार्यो में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन बाधाओं को दूर करने के लिए सकारात्मक प्रयास किये जाने चाहिए।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जिला कलैक्टर होता है।
- जिला कलैक्टर पद प्राचीन काल से ही विद्यमान है लेकिन इसके वर्तमान स्वरूप का विकास ब्रिटिश शासन काल से हुआ हैं।
- स्वतंत्रता के पश्चात जिला कलैक्टर को राजस्व सम्बन्धी कार्यो के साथ साथ विकासात्मक दायित्व भी दिए गए हैं।
- जिला कलैक्टर के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी या भारतीय प्रशासनिक सेवा में कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाती हैं।
- जिला कलैक्टर चार रूपों में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। राजस्व अधिकारी के रूप में, प्रशासक के रूप में, दण्डनायक के रूप में तथा विकास अधिकारी के रूप में
- अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए जिला कलैक्टर द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं।
- जिला कलैक्टर को अपने कार्यों के निष्पादन में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

1. मौर्यकाल में जिला कलैक्टर के समकक्ष पद का नाम था :

   (अ) स्थानिक (ब) विषयपति

   (स) कलेक्टर (द) आमिल ( )

2. मुगल शासन काल में जिला कलैक्टर के समकक्ष पदाधिकारी का कार्य था :

   (अ) राजस्व सम्बन्धी (ब) कानून व व्यवस्था बनाए रखना

   (स) विकास सम्बन्धी (द) उपर्युक्त सभी

3. जिला कलैक्टर को इस कानून के अन्तर्गत राजस्व सम्बन्धी अधिकार दिए गए है :

   (अ) भू राजस्व अधिनियम 1956

   (ब) राजस्थान भू राजस्व रेवाईन लेण्ड नियम 1967

(स) राजस्थान भू राजस्व एंव भू– आवंटन नियम 1970

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं। ( )

4. जिला पुलिस प्रशासन का मुखिया होता है :

(अ) पुलिस अधीक्षक (ब) पुलिस निरीक्षक

(स) पुलिस महानिरीक्षक (द) पुलिस निदेशक ( )

5. चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम हैः

(अ) चाणक्य शास्त्र (ब) अर्थशास्त्र

(स) मौर्य शास्त्र (द) उपर्युक्त सभी ( )

6. मौर्य काल में जिला प्रशासन इकाई को कहा जाता था ?

(अ) विषय (ब) अहारा

(स) सरकार (द) डिस्ट्रिकट ( )

7. जिला स्तर पर सरकार की भूमि का स्वामी होता है।

(अ) जिला प्रमुख (ब) अतिरिक्त जिला कलेक्टर

(स) जिला कलेक्टर (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं ( )

8. राजस्थान में जिला कलैक्टर का औसत कार्यकाल क्या माना गया है

(अ) 14.8 माह (ब) 14.6 माह

(स) 14.4 माह (द) 14.2 माह ( )

अति–लघुत्तरात्मक प्रश्न

1. मुगल शासन काल में जिला कलैक्टर के समकक्ष पद को क्या कहा जाता था?
2. ब्रिटिश शासन काल में जिला कलैक्टर को किस नाम से जाना जाता था?
3. जिला कलैक्टर पद नियुक्त अधिकारी किस प्रशासनिक सेवा वर्ग से सम्बन्धित होता हैं?
4. जिला कलैक्टर की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका किस रूप में होती है?
5. विकास संबंधी कार्यों में जिला कलैक्टर की कैसी भूमिका होती है?
6. निर्वाचन संबंधी कार्यों में जिला कलैक्टर किस रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है?
7. अंग्रेजी के शब्द 'कलेक्ट' का क्या तात्पर्य है ?
8. कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलैक्टर को कौन सी शक्तियॉ दी गई है?

लघुत्तरात्मक प्रश्न

1. जिला कलैक्टर पद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर टिप्पणी लिखिए?
2. जिला कलैक्टर की नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधानों को बताइयें।
3. जिला कलैक्टर की जिला प्रशासन में भूमिका को संक्षेप में बताइए।
4. जिला कलैक्टर के कार्यो में आने वाली बाधाओं की संक्षेप मे बताइए।
5. जिला कलैक्टर की राजस्व संबंधी भूमिका पर टिप्पणी लिखिए ।
6. एक दंडनायक के रूप में जिला कलैक्टर किन शक्तियों का प्रयोग करता है ? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए ।
7. संक्षेप में, जिला कलैक्टर के भूमि सुधार कार्यों को बताइए ।

8. राजनीतिक हस्तक्षेप किस प्रकार जिला कलैक्टर के कार्यों को बाधित करता है ? स्पष्ट कीजिए ।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. जिला प्रशासन में जिला कलैक्टर की भूमिका व कार्यो का विवेचन कीजिये ।
2. जिला कलैक्टर की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
3 ''जिला कलैक्टर पद उपनिवेशी शासकों से विरासत में मिला है'' विश्लेषण कीजिए।
4. किस प्रकार जिला कलैक्टर की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है ? व्याख्या कीजिए।

उत्तरमाला

1.(अ) 2.(अ) 3.(अ) 4.(अ) 5.(ब) 6.(ब) 7.(स) 8.(द)